कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

प्रगति भवन, भोपाल विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एम.पी.नगर, भोपाल
दूरभाष : 0755–2674318, 2674337, फैक्स : 0755–2766315
E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक / व.प्रा. / मा.चि. / OFC / 20.13 / 3813 भोपाल, दिनांक : 25/05/2022

प्रति,

प्रबंधक,
रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
तीसरी मंजिल, ब्लॉक नं. 1,
डी.बी. मॉल, एम.पी. नगर, भोपाल

विषय :– **गांधीसागर अभयारण्य के अंतर्गत गांधीसागर हेडल–बार्डर (रतनगढ़) मार्ग के किनारे–किनारे राइट–ऑफ–वे में वन्यप्राणी कोर एरिया तक 17.00 कि.मी. लम्बाई में 4जी कनेक्टिविटी आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु 0.85 हेक्टेयर अभयारण्य भूमि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, भोपाल को उपयोग पर देने की वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुमति।** (FP/MP/OFC/4817/2020)

संदर्भ :– वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल मन्दसौर का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2021 / 1535 दिनांक 01.03.2021 एवं वैज्ञानिक ''सी'' भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन्यप्राणी डिविजन) नई दिल्ली का पत्र क्रमांक एफ.नं. 6–26 / 2022 डब्लयू.एल. दिनांक 12.04.2022

———

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा गांधीसागर अभयारण्य के अंतर्गत गांधीसागर हेडल–बार्डर (रतनगढ़) मार्ग के किनारे–किनारे राइट–ऑफ–वे में वन्यप्राणी कोर एरिया तक 17.00 कि.मी. लम्बाई में 4जी कनेक्टिविटी आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु 0.85 हेक्टेयर अभयारण्य भूमि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, भोपाल को उपयोग पर देने हेतु वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुमति के संबंध में प्रेषित प्रस्ताव वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल मन्दसौर द्वारा संदर्भित पत्र से अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था।

प्रस्ताव अनुसार गांधीसागर अभयारण्य के अंतर्गत गेम रेंज गांधी सागर पश्चिम / पूर्व के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ.–997, 1005, 1008, 1009 में मार्ग के राइट आफ वे में 6 कि.मी. लम्बाई एवं 0.50 मीटर चौड़ाई में रकबा 0.30 हेक्टेयर वन भूमि एवं राजस्व भूमि में 7 कि.मी. लम्बाई में रकबा 0.35 हेक्टेयर में मार्ग के राइट आफ वे में 4जी ओ.एफ.सी. लाईन डाली जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मार्ग के राइट आफ वे के बिना कक्ष क्रमांक 996 में 4 कि.मी. लम्बाई में ओ.एफ.सी. डाले जाने हेतु 0.2 हेक्टेयर वनक्षेत्र में ओ.एफ.सी. लाइन डाली जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 17 कि.मी. लम्बाई में 0.5 मीटर चौड़ाई में ओ.एफ.सी. डाले जाने हेतु 0.85 हेक्टेयर (0.5 हेक्टेयर वनभूमि तथा 0.35 राजस्व भूमि) अभयारण्य भूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। ओ.एफ.सी. लाइन डाले जाने हेतु 1.5 मीटर गहरी ट्रंच खोदी जाना प्रस्तावित है। विवरण निम्नानुसार है :–

ओ.एफ.सी. लाइन का विवरण

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	राइट ऑफ वे मार्ग पर आप्टिकल फाइबर केबिल की माप (मीटर में)			प्रभावित रकबा (हे. में)
			लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	
1.	गेमरेंज गांधी सागर पश्चिम (वनक्षेत्र)	997	2000	0.5	1.5	0.10
	गेमरेंज गांधी सागर पूर्व (वनक्षेत्र)	1005, 1008	2200	0.5	1.5	0.11
		1008, 1009	1800	0.5	1.5	0.09
		996 (बिना राइट आफ वे)	4000	0.5	1.5	0.2
		योग	10000			0.5
2.	गेमरेंज गांधी सागर पूर्व/पश्चिम (राजस्व क्षेत्र)	जल संसाधन विभाग के अंतर्गत चम्बल नं. 8 रहवासी क्षेत्र एव चंबल नं. 3 रहवासी क्षेत्र	7000	0.5	1.5	0.35
		कुल योग	17000	0.5	1.5	0.85

योजना अंतर्गत किसी भी प्रकार के वृक्षों को नहीं काटा जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित योजना की लागत रूपये 78.00 लाख दर्शायी गई है। उक्त परियोजना से स्थानीय ग्रामीणों को दूरसंचार की बेतहर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी।

प्रस्तावित ओ.एफ.सी. लाईन डाले जाने की वनमण्डलाधिकारी, सामान्य मन्दसौर द्वारा की गई अनुशंसा से मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए निम्न शर्तों के अधीन प्रस्ताव की अनुशंसा की गई है :–

1. वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।
2. सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व कार्य नही किया जायेगा।
3. मार्ग में पड़ने वाले वन विभाग के कार्यालयों/बैरियर्स/नाकों में निःशुल्क 4जी कनेक्शन प्रदाय में प्राथमिकता दी जाय।
4. नियमानुसार एन.पी.व्ही. एवं अन्य शुल्क देय होगा।

2. उक्त प्रस्ताव इस कार्यालय की अनुशंसा सहित मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 20वीं बैठक दिनांक 27.05.2021 को विचारार्थ रखा गया था, जिसमें बोर्ड निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

"गांधीसागर अभयारण्य के अंतर्गत गांधीसागर हेडल–बार्डर (रतनगढ़) मार्ग के किनारे–किनारे राइट–ऑफ–वे में वन्यप्राणी कोर एरिया तक 17.00 कि.मी. लम्बाई में 4जी कनेक्टिविटी आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु 0.85 हेक्टेयर अभयारण्य भूमि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, भोपाल को उपयोग पर देने संबंधी प्रस्ताव की स्थानीय ग्रामीणों को दूरसंचार की सुविधा उपलब्ध कराने को दृष्टिगत रखते हुए, वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाये जाने, रात्रि में कार्य न किये जाने एवं मार्ग में पड़ने वाले वन विभाग के कार्यालयों/बैरियर्स/नाकों में 4जी कनेक्शन प्रदाय में प्राथमिकता दिये जाने की शर्त के अधीन राज्य वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा अनुशंसा की गई। प्रकरण में राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की अनुमति हेतु कार्यवाही की जावे। प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड को अनुशंसा हेतु प्रेषित किया जाये।"

3. राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी की 67वी बैठक दिनांक 25.03.2022 में उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत (कार्यवाही विवरण पत्र दिनांक 12.04.2022) निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

*"**The Standing** Committee was informed that the proposal is for use of 0.85 ha of land **from Gandhi** Sagar Wildlife Sanctuary for underground laying of optical fibre cable. The **proposal** has been recommended by the Chief Wild Life Warden, State Board for Wild Life **and** the State Government.*

***Decision Taken:** After discussions, the Standing Committee decided to recommend the proposal subject to following conditions:*

1. *The User Agency should ensure that there is no damage to the forest, wildlife and its habitat and no work will be done at night.*
2. *An annual compliance certificate on the stipulated conditions shall be submitted by the project proponent to the Chief Wild Life Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the Chief Wild Life Warden to Government of India.*

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2015 को यह आदेश पारित किया गया कि:–

"In all case matters where there is already decision of the Standing Committee of the NBWL the parties shall abide with all the conditions imposed therein."

5. अतः उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.10.2015, राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की 67वीं बैठक दिनांक 25.03.2022 एवं मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 20वीं बैठक दिनांक 27.05.2021 में की गई अनुशंसा के अनुसार गांधीसागर अभयारण्य के अंतर्गत गांधीसागर हेडल–बार्डर (रतनगढ़) मार्ग के किनारे–किनारे राइट–ऑफ–वे में वन्यप्राणी कोर एरिया तक 17.00 कि.मी. लम्बाई में 4जी कनेक्टिविटी आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु 0.85 हेक्टेयर अभयारण्य भूमि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, भोपाल को उपयोग पर देने की मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड एवं राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा अधिरोपित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन सैद्धांतिक वन्यप्राणी अनुमति प्रदान की जाती है:–

5.1. आप्टिकल फायबर लाइन बिछाये जाने हेतु ट्रंच अधिकतम 1.5 मीटर गहराई तथा 0.5 मीटर चौड़ाई से अधिक न खोदा जावे।

5.2. आप्टिकल फाइबर केबिल डालने के पश्चात ट्रंच को अच्छी तरह से भरकर समतलीकरण करना एवं उसके रख–रखाव का दायित्व आवेदक विभाग/संस्था का होगा।

5.3. यदि ट्रंच खुदाई के दौरान वन सम्पदा/पर्यावरण का नुकसान हो रहा हो तो इसकी पूर्ति करने का दायित्व आवेदक विभाग/संस्था का होगा।

5.4. आप्टिकल फाइबर लाइन डालने में वनक्षेत्र में किसी भी प्रकार का सिविल स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं किया जावेगा।

5.5. आवेदक संस्था द्वारा मार्ग के राइट–ऑफ–वे में आप्टिकल फाइबर लाइन डाले जाने हेतु संबंधित मार्ग के आधिपत्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित किया जाना होगा।

5.6. आवेदक विभाग द्वारा 500 मीटर ट्रंच खुदाई कर आप्टिकल फाइबर लाइन डाले जाने के उपरां उक्त ट्रंच को भरकर/समतलीकरण करने के उपरांत ही अगली 500 मीटर ट्रंच की खुदाई की जावेगी।

5.7. आवेदक विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्र में आप्टिकल फाइबर लाइन डाले जाने हेतु समय सीमा निर्धारित कर कार्य की अवधि से अवगत कराया जाना होगा।

5.8. आवेदक संस्था द्वारा संबंधित संरक्षित क्षेत्र प्रभारी/क्षेत्र संचालक/कार्यालय के माध्यम से प्रतिमाह कार्य की प्रगति से अवगत कराया जाना होगा।

5.9. प्रस्तावानुसार प्रस्तावित मार्ग के किनारे ROW में तथा बिना ROW में प्रस्तावित एलाइमेंट में ही आप्टिकल फायबर लाइन बिछाई जावे। लाइन का रि–एलाइमेंट न किया जावे।

5.10. प्रकरण में आवेदक संस्था द्वारा संरक्षित क्षेत्र/टाइगर रिजर्व/अभयारण्य क्षेत्र में प्रस्तावित आप्टिकल फाइबर लाइन की प्रोजक्ट कास्ट की 5 प्रतिशत की राशि मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 16वीं बैठक दिनांक 05.12.2017 को एजेण्डा क्रमांक 16.4 में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र. टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा टी.टी. नगर, भोपाल के बचत खाता क्रमांक 10571048460 आई.एफ.एस.सी. कोड SBIN0001308 में जमा करायी जावे। आवेदक संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व नियमानुसार एन.पी.व्ही. की राशि कैम्पा मद में जमा करायी जावेगी।

5.11. उक्त आप्टिकल फायबर लाइन बिछाये जाने में कोई भी वृक्ष नहीं काटा जावे तथा उनकी जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जावे।

5.12. आप्टिकल फायबर लाइन बिछाये जाने का कार्य सूर्योदय के पश्चात एवं सूर्यास्त के पूर्व पर्याप्त सावधानीपूर्वक किया जाये जिससे वन्यप्राणियों पर कोई दुष्प्रभाव न हो तथा वन्यप्राणियों से स्वयं की सुरक्षा करने का पूर्ण दायित्व आवेदक विभाग का होगा।

5.13. आप्टिकल फायबर लाइन बिछाये जाने के कार्य हेतु समस्त निर्माण सामग्री संरक्षित क्षेत्र/टाइगर रिजर्व के बाहर से लाई जाये।

5.14. अभयारण्य क्षेत्र के भीतर पत्थर तोड़ने/वनभूमि में किसी भी प्रकार का उत्खनन/नदी–नालों से अवैध रेत उत्खनन/आग जलाना/वृक्ष कटाई तथा वन संपदा को नुकसान पहुँचाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। यह सुनिश्चित करने का दायित्व उपयोगकर्ता विभाग का होगा।

5.15. आप्टिकल फायबर लाइन बिछाये जाने के कार्य में संलग्न लोगों को, कार्य आरंभ करने के पूर्व ही, इस कार्य के दौरान क्या–क्या सावधानियाँ रखना है, इसके संबंध में जागरूक कर दिया जावे।

5.16. संरक्षित क्षेत्र/टाइगर रिजर्व/अभयारण्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का श्रमिक कैम्प नहीं लगाया जावे। श्रमिक कैम्प संरक्षित क्षेत्र की सीमा से कम से कम 250 मीटर दूर लगाया जावे।

5.17 आप्टिकल फाइबर लाइन डाले जाने में यदि संरक्षित क्षेत्र की वन भूमि का व्यपवर्तन हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में इसकी पृथक से स्वीकृति वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश से प्राप्त की जावेगी।

5.18 आवेदक संस्था को आप्टिकल फाइबर लाइन डाले जाने में संलग्न कर्मचारी/अधिकारी एवं उपयोग में लाई जाने वाली मशीनरी एवं वाहनों की जानकारी संबंधित संरक्षित क्षेत्र प्रभारी को उपलब्ध करायी जावेगी।

5.19. निर्माण एजेन्सी या उसके कॉन्ट्रेक्टर द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित करेंगें।

5.20. आप्टिकल फायबर लाइन बिछाये जाने संबंधी कार्य के संबंध में संरक्षित क्षेत्र प्रभारी एवं संबंधित वनाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

5.21. उक्त शर्तों/निर्देशों की अवहेलना अथवा पालन न होने पर यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

आवेदक संस्था द्वारा उक्त दर्शित शर्तों का पालन करने संबंधी वचन पत्र वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल मन्दसौर के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करने के उपरांत प्रकरण में पृथक से अंतिम अनुमति जारी की जा सकेगी। उक्त शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो आवेदक विभाग एवं निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। उक्त निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं कार्य समाप्ति की सूचना तथा उपरोक्त शर्तों के संबंध में पालन प्रतिवेदन (Compliance Report) वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल मन्दसौर के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

25.05.2022

(जसबीर सिंह चौहान)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र.

पृ0 क्रमांक/व.प्रा./मा.चि./OFC/20.13/3814 भोपाल, दिनांक : 25/05/2022

:प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल मन्दसौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उक्त प्रकरण में अधिरोपित समस्त शर्तो के क्रियान्वयन हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता हैं। प्रकरण में कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित आवेदक संस्था/विभाग से संरक्षित क्षेत्र की प्रोजेक्ट कास्ट की 05 प्रतिशत की राशि तथा वनभूमि का व्यपवर्तन हो रहा हो तो नियमानुसार एन.पी.व्ही. की राशि जमा कराने एवं आवेदक संस्था द्वारा उक्त समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन/वचन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् इस कार्यालय को प्रतिवेदन प्रेषित करने का कष्ट करें। प्रकरण में अधिरोपित शर्तों के पालन संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत इस कार्यालय द्वारा पृथक से अंतिम अनुमति जारी की जा सकेगी। प्रकरण में लगाई गई समस्त शर्तो का पालन कराते हुए की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र.

स्था./व्यय/राजस्व/स्टेनो
मो.चि./व्यापा./एन.आर.आई./जैव विविधता
85
मुख्य लिपिक व.म.अ. मन्दसौर
14/6/22

आवक क्र 5092
दिनांक 14-06-2022